भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1678
(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत अनियमितताएं

1678. श्रीमती माला राय:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद राज्यों में कोई केंद्रीय दल भेजा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) राज्य-वार किस प्रकार की अनियमितताएं सामने आई हैं; और
(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य-वार की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रहा है जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) , प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) , दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई) , ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) , राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)। ये सभी योजनाएं/कार्यक्रम राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों (यूटी) के सक्रिय सहयोग से लागू किए जाते हैं।

पारदर्शिता और जवाबदेही मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का प्रमुख फोकस है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत तंत्र स्थापित किए हैं। जब भी कोई कमी जैसे कि निधि का दुरुपयोग , जमीनी स्तर पर काम का न होना, श्रम-प्रतिस्थापन मशीनरी का उपयोग या रिपोर्ट किए गए व्यय और जमीन पर किए गए वास्तविक कार्य में बेमेल देखी जाती है , तो सुधारात्मक उपायों को तुरंत लागू किया

जाता है। निगरानी तंत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं (एनएलएम) द्वारा विशेष और नियमित निगरानी , साथ ही जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है या जांच आवश्यक समझी जाती है तो एनएलएम/केंद्रीय टीमों का नियोजन शामिल है। इसके अलावा, कार्यस्थलों का स्थल निरीक्षण करने के लिए राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में विशेष निगरानी टीमों को भी तैनात किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में मनरेगा के तहत मंत्रालय द्वारा की गई केंद्रीय निगरानी टीमों की यात्राओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसी प्रकार, पीएमएवाई-जी के तहत, क्षेत्र अधिकारियों और राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं (एनएलएम) से युक्त केंद्रीय टीमों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं और कई संस्थागत तंत्रों के माध्यम से निगरानी की जाती है , जिसमें माननीय संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी (दिशा) समिति और सामाजिक लेखापरीक्षा शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की एनएलएम प्रणाली एक तृतीय-पक्ष निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र के रूप में कार्य करती है , जिसका उद्देश्य देश भर में पीएमएवाई-जी सहित ग्रामीण विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का नियमित आकलन करना है। इस ढांचे के भाग के रूप में, केंद्रीय टीमें दो राज्यों अर्थात् (i) पश्चिम बंगाल और (ii) ओडिशा में तैनात की गईं।

(i) पश्चिम बंगाल: पीएमएवाई-जी के तहत, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को 45.69 लाख मकानों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है जिसके सापेक्ष राज्य ने 45.69 लाख मकानों को स्वीकृति दी है। मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल राज्य को पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए 2016-17 से 2021-22 तक केंद्रीय हिस्से के रूप में पहले ही 25,798 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

हालांकि, नवंबर 2022 (वित्त वर्ष 2022-23) में अंतिम रूप दी गई आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूचियों से राज्य को लक्ष्य के आवंटन के बाद पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुईं , जिसमें अपात्र परिवारों का चयन ; पात्र परिवारों को हटाना और राज्य में योजना का नाम बदलकर "बांग्ला आवास योजना" करना शामिल है।

मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित मकानों के सत्यापन और जनवरी 2023 (वित्त वर्ष 2022-23) के दौरान राज्य के 2 जिलों में 2 केंद्रीय टीमों और 10 जिलों में राष्ट्रीय स्तर निगरानी (एनएलएम) टीमों की यात्राओं के माध्यम से शिकायतों के निरीक्षण के लिए विभिन्न कदम उठाए थे, इसके बाद अप्रैल-मई 2023 (वित्त वर्ष 2023-24) के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की नमूना जांच के लिए उन्हीं 10

जिलों में मंत्रालय की वरिष्ठ अधिकारी टीमों की यात्राएं हुईं , और इसके बाद दिसंबर 2023-जनवरी 2024 (वित्त वर्ष 2023-24) के दौरान सत्यापन के लिए राज्य के शेष जिलों में एनएलएम टीमों द्वारा यात्राएं की गईं।

पश्चिम बंगाल में पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की शिकायतों को राष्ट्रीय स्तर निगरानी (एनएलएम) टीमों और वरिष्ठ अधिकारी टीमों द्वारा सत्यापित किया गया। उनकी टिप्पणियां की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के लिए राज्य सरकार के साथ साझा की गईं। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 (आज तक) के दौरान , अंतिम रूप दी गई आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूचियों से वित्त वर्ष 2022-23 के लक्ष्यों के लिए मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से पश्चिम बंगाल राज्य को पीएमएवाई-जी के तहत कोई केंद्रीय निधि जारी नहीं की गई है , क्योंकि केंद्रीय टीमों की टिप्पणियों पर संतोषजनक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत नहीं की गई।

(i i) ओडिशा: लोगो का उपयोग , मकानों की खराब गुणवत्ता , आवास+ सर्वेक्षण, राज्यों द्वारा खराब निगरानी और सामाजिक लेखापरीक्षा का न होना जैसी अनियमितताओं पर अपर्याप्त कार्रवाई की जांच करने के लिए 9 से 11 फरवरी, 2021 और 2 से 4 मार्च, 2022 में ओडिशा को एक केंद्रीय टीम भेजी गई।

शिकायत निवारण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है और योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाता है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) पोर्टल (pgportal .gov.i n) पर शिकायतें दर्ज करने की एक प्रक्रिया है। सीपीग्राम्स या अन्यथा के माध्यम से मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों को शिकायत निवारण के लिए संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित किया जाता है और शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर शिकायतकर्ता को सूचना देते हुए मंत्रालय को कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

मंत्रालय विभिन्न मंचों जैसे कि निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें , मध्यावधि समीक्षा, सामान्य समीक्षा मिशन , एनएलएम, अधिकार प्राप्त समिति की बैठकें , मासिक समीक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि के माध्यम से योजना के उचित कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए , पीएमजीएसवाई के तहत ऑनलाइन प्रबंधन , निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) का उपयोग एक डिजिटल मंच के रूप में किया जाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि ठेकेदारों को भुगतान केवल वास्तविक प्रगति और गुणवत्ता के सत्यापन के बाद ही किया जाए। निरीक्षण के दौरान चिह्नित किए गए किसी भी प्रक्रियात्मक विचलन को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाता है और जहां

आवश्यक हो, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निधि की वसूली या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

इसी प्रकार, एनएसएपी के तहत, चोरी को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), और आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) जैसे उपाय लागू किए गए हैं। राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को 100% आधार सीडिंग और डीबीटी-आधारित भुगतान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा , आधार-आधारित बायोमेट्रिक या चेहरे के सत्यापन के लिए एक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है , जो जीवन प्रमाण पत्र के वास्तविक समय निर्माण को सक्षम बनाता है। यह बहिष्करण त्रुटियों को कम करता है , विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों में, और पेंशन लाभों की निरंतरता सुनिश्चित करता है।

*****

अनुबंध

"ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत अनियमितताएं" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 10.02.2026 को उत्तर देने कि लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1678 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य का नाम	निगरानी की अवधि	कवर किए गए कुल जिले
1.	झारखंड	अगस्त 2024	8 जिले (रांची, लातेहार, गिरिडीह, छतरा, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग, जामताड़ा)
2.	कर्नाटक	अगस्त 2024	5 जिले (बेल्लारी, बीदर, चित्रदुर्ग, हावेरी, रायचूर)
3.	राजस्थान	अगस्त 2024	5 जिले (डूंगरपुर, बाड़मेर, नागौर, प्रतापगढ़, झालोर)
4.	छत्तीसगढ़	अगस्त 2024	5 जिले (कवर्धा, महासमुंद, बालोद, रायपुर, कोरबा)
5.	आंध्र प्रदेश	अप्रैल 2025	श्रीकाकुलम
6.	आंध्र प्रदेश	जून 2025	अनंतपुर
7.	आंध्र प्रदेश	जून 2025	काकीनाडा
8.	आंध्र प्रदेश	जून 2025	तिरुपति
9.	असम	सितंबर 2025	दक्षिण सालमारा मनकाचर, धुबरी
10.	बिहार	मई 2025	दरभंगा
11.	छत्तीसगढ़	अप्रैल 2025	कवर्धा
12.	गुजरात	मई 2025	दाहोद
13.	हरियाणा	जून 2025	हिसार
14.	जम्मू और कश्मीर	जून 2025	कठुआ
15.	झारखंड	मई 2025	देवघर
16.	कर्नाटक	अप्रैल 2025	रायचूर
17.	कर्नाटक	अगस्त 2025	कलबुर्गी
18.	केरल	अप्रैल 2025	तिरुवनंतपुरम
19.	केरल	अप्रैल 2025	त्रिशूर
20.	केरल	अप्रैल 2025	पलक्कड़
21.	केरल	अप्रैल 2025	कोझिकोड
22.	केरल	अप्रैल 2025	अलाप्पुझा
23.	केरल	मई 2025	मलप्पुरम
24.	मध्य प्रदेश	अप्रैल 2025	मुरैना
25.	महाराष्ट्र	अप्रैल 2025	छत्रपति संभाजी नगर

26.	महाराष्ट्र	मई 2025	पुणे
27.	महाराष्ट्र	अगस्त 2025	बीड
28.	मेघालय	मई 2025	दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स
29.	मिजोरम	मई 2025	लॉन्गतलाई
30.	नागालैंड	मई 2025	मोन
31.	ओडिशा	अप्रैल 2025	मयूरभंज
32.	पंजाब	अप्रैल 2025	गुरदासपुर
33.	पंजाब	मई 2025	मुक्तसर
34.	पंजाब	जून 2025	तरनतारन
35.	पंजाब	जून 2025	फाजिल्का
36.	पंजाब	जून 2025	भटिंडा
37.	राजस्थान	अप्रैल 2025	बाड़मेर
38.	तमिल नाडु	अप्रैल 2025	तिरुवन्नामलाई
39.	तमिल नाडु	अप्रैल 2025	विल्लुपुरम
40.	तमिल नाडु	अप्रैल 2025	सेलम
41.	तमिल नाडु	अप्रैल 2025	डिंडीगुल
42.	तमिल नाडु	अप्रैल 2025	तंजावुर
43.	तमिल नाडु	अप्रैल 2025	तिरुचिरापल्ली
44.	तमिल नाडु	अप्रैल 2025	कडलूर
45.	तमिल नाडु	अप्रैल 2025	पुदुक्कोट्टै
46.	तमिल नाडु	अप्रैल 2025	तिरुवल्लूर
47.	तमिल नाडु	अप्रैल 2025	मदुरई
48.	तेलंगाना	अप्रैल 2025	विकाराबाद
49.	तेलंगाना	जून 2025	सिद्दीपेट
50.	तेलंगाना	जून 2025	आदिलाबाद
51.	तेलंगाना	जून 2025	निर्मल
52.	तेलंगाना	मई 2025	संगारेड्डी
53.	त्रिपुरा	मई 2025	धलाई
54.	उत्तर प्रदेश	अप्रैल 2025	बस्ती
55.	उत्तर प्रदेश	जुलाई 2025	जालौन
56.	उत्तराखंड	जून 2025	देहरादून
57.	मध्य प्रदेश	अप्रैल 2025	मुरैना

****